

पुलिस को एफआईआर हेतु अनुरोध

दिनांक : _____

बैंक का नाम
जिला:
नोडल बैंक अधिकारी का नाम और पता
संदर्भ सं.
पुलिस निरीक्षक
_____ पुलिस थाना

महोदय,

जाली नोट /नोटों का पता लगाना -जाँच हेतु अनुरोध

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक _____ को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट संलग्न कर रहे हैं। जाली नोट / नोटों के विस्तृत ब्योरे नीचे प्रस्तुत है।

मूल्यवर्ग/ पीसेस की संख्या	जाली नोटों की क्रमिक संख्या	अनुमानित मूल्य	नोट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण	शाखा / मुद्रा तिजोरी का नाम और पता जहां पर जाली नोट पाए गए	बैंक की प्रविष्टि संख्या	एनसीआरबी पोर्टल में जनरेट यूनिक संदर्भ संख्या (यूआरएन)

2. चूँकि, भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और/या संचलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए से 489 ई के तहत अपराध है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें। यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 292(1) और 292(3) के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस, फोरेन्सिक साईन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेज देने हेतु व्यवस्था कर लें। प्रस्तुत विशेषज्ञ राय को आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। जाँच और / या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट / न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जाए।

3. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आधिकारिक मुहर
संलग्न: